Chapter-4

अध्याय 4

प्रयोजनमूलक (Functional) अथवा व्यावहारिक हिन्दी तथा पारिभाषिक शब्दावली

- प्रयोजन मूलक हिन्दी
  - प्रशासनिक हिन्दी
  - तकनीकी हिन्दी
- पारिभाषिक शब्दावली

अध्याय 4

प्रयोजनमूलक अथवा व्यावहारिक हिन्दी तथा पारिभाषिक शब्दावली

प्रयोजनमूलक हिन्दी

प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं - एक सामान्य रूप और दूसरा प्रयोगपरक रूप। भाषा के सामान्य रूप का प्रयोग सामान्य जीवन में दैनिक कार्यों के संदर्भ सें होता है और जिसका अभ्यास, ज्ञान तथा अर्जन सामान्य जीवन के परिवेश से ही किया जा सकता है। किन्तु भाषा का प्रयोगपरक रूप विशेष कार्यों के सम्पादन में देखने को निलता है और इसका अभ्यास, ज्ञान तथा अर्जन विशेष प्रयासों से किया जा सकता है। भाषा का यह प्रयोग परक रूप ही प्रयोजन मूलक (Functional) कहलाता है। हिन्दी भाषा के सन्दर्भ में हिन्दी के भी दो रूप मान्य हैं : (1) सामान्य हिन्दी, (2) प्रयोगपरक हिन्दी अथवा प्रयोजन मूलक हिन्दी। उदाहरण स्वरूप सरकारी कामकाज की हिन्दी अथवा कार्यालयी हिन्दी हिन्दी भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है। कार्यालय में प्रयुक्त हिन्दी और सामान्य हिन्दी में सदैव ही अंतर रहा है। कार्यालय-हिन्दी का एक विशिष्टरूप 'प्रयुक्ति' के रूप में विकसित हो गया है। विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग 'प्रयुक्ति' है। ''विषय विशेष के अनुकूल शब्दावली,पदबंध-वाक्यांश और वाक्यों का संयोजन 'प्रयुक्ति' कहलाता है।' प्रयुक्ति के आवश्यक तत्वों के रूप में तकनीकी तथा वैज्ञानिक

शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, भाषा संरचना आदि शामिल हैं। हिन्दी भाषा के कार्यालयीन रूप में प्रयुक्त 'मसौदा', 'टिप्पणी', 'आवती', 'पावती', 'मंजूरी', 'प्रभाग', 'शाखा', 'कागज पत्र', 'कार्यसूची', 'अर्जित छुट्टी', 'वेतन' आदि सैकड़ों तकनीकी शब्द केवल इसी प्रयुक्ति में रूढ़ हो गए हैं। इस प्रयुक्ति से इतर क्षेत्र में इन शब्दों का प्रयोग हास्यास्पद होगा। जैसे कोई व्यक्ति घर में या परिचितों के मध्य 'भोजन प्रस्तुत कीजिए' 'या' घरेलू बजट के बारे में टिप्पणी लिखकर स्वीकृति मांगिए' आदि प्रयोग करें तो उसे सनकी ही कहा जाएगा।[1] कार्यालयीन हिन्दी में कर्मवाच्य,निर्वैयक्तिकता आादि संरचनाओं की प्रधानता रहती है जो उसे सामान्य हिन्दी से पृथक कर एक प्रयोजन विशेष के लिए प्रयुक्त हिन्दी से जोड़ती है।

आज वैज्ञानिक, औद्योगिक,वाणिज्यिक और प्रशासनिक आदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का जो रूप उभर रहा है वह 'प्रयुक्ति' के रूप में ही विकसित हो रहा है। यहाँ तक कि 'वैज्ञानिक हिन्दी' 'वाणिज्यिक हिन्दी' 'तकनीकी हिन्दी' कार्यालयीन हिन्दी' जैसे शब्दों का प्रयोग आम है। इन विषयों से सम्बद्ध विचारधाराओं को व्यक्त करने में सक्षम हिन्दी का रूप प्रयोजन विशेष के लिए प्रयुक्त रूप को सामने ला रहा है। विषय-विशेष से सम्बद्ध शब्दावली की रचना हो रही है। दरअसल, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने अनेक नए विभाग, निगम, प्रौधोगिकी और वैज्ञानिक आधार वाले संस्थान स्थापित करने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार के अनेक कार्यालयों के कार्यों को राजभाषा हिन्दी के द्वारा निष्पादित करने के लिए हिन्दी को इनके स्तर तक विकसित करना अनिवार्य हो गया और इस स्तर पर हिन्दी में शब्द-निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। इस कार्य के लिए संलिष्ट प्रकृति वाली भाषा संस्कृत को आधार बनाया गया। संस्कृत को इस काम के लिए चुनने के कारणों में उसका समस्त आर्य भाषाओं का आधार तथा उपसर्गों एवम् प्रत्ययों के सहारे एक ही धातु से शब्द निर्माण की अद्वितीय क्षमता का होना

1. भाषा प्रयुक्ति की संकल्पना और कार्यालयी हिन्दी, पृष्ठ 138, ठाकुरदास

था। संस्कृत के साथ-साथ अंग्रेजी तथा उर्दू के बहु प्रचलित शब्दों को भी रख लिया गया। शब्द निर्माण में हिन्दी की प्रकृति के अनुसार प्रत्यय जोड़ने पर बल दिया गया। इस प्रकार राजभाषा हिन्दी में उर्दू अंग्रेजी तथा संस्कृत की मिली जुली शब्दावली का प्रचलन हुआ। हिन्दी के इस भाषा रूप में हमें विशिष्ट शाब्दिक अन्विति के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। लिखित हिन्दी में प्राय: एक ही वाक्य में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि का साथ-2 प्रयोग अटपटा लगता है लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा में इस प्रकार के प्रयोग अस्वाभाविक नहीं लगते। जैसे-'आवश्यक मसौदा संलग्न फाइल की पताका 'क' पर रखा है।'संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक,औद्योगिक,वाणिज्यिक - विषयक तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों विषयों में प्रयुक्त हिन्दी-भाषा के विविध रूप 'प्रयोजनमूलक हिन्दी के ही विविध रूप हैं, जिनकी शैली सामान्य भाषा की शैली से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हमें प्रतिदिन ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि उन्हें हिन्दी का ज्ञान है और वह रोजमर्रा के विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिख,बोल,पढ़कर अपना काम भी चला लेते हैं। किन्तु यदि हम उनसे हिन्दी साहित्य के बारे में कुछ पूछें तो हो सकता है वे कुछ न बता पाएं। वस्तुत: हिन्दी जानने वाले अधिकांश हिन्दी अथवा अहिन्दी-भाषियों को हिन्दी साहित्य का ज्ञान नहीं होता। तो फिर वे कौन सी हिन्दी जानते हैं ? उत्तर है,'प्रयोजनमूलक हिन्दी' या 'कामकाजी हिन्दी' जिससे प्रयोजन सिद्ध होता हो और जो हमारे दिन प्रतिदिन के कामकाज में इस्तेमाल की जाती हो।

हमारे देश में प्रयोजनमूलक हिन्दी के मुख्य रूप से दो प्रकार विकसित हुए हैं - (1) प्रशासनिक हिन्दी तथा (2) तकनीकी हिन्दी

(क) प्रशासनिक हिन्दी

जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह प्रशासन,लेखा आदि में प्रयोग होने वाली भाषा है। किसी भी राष्ट्र की सामान्य जन-भाषा ही प्रशासन की भी भाषा होनी चाहिए।

जन-जन द्वारा जाना जाने वाला माध्यम ही प्रशासन के मन्तव्य को जन-जन तक पहुँचा सकता है। इसलिए प्रशासन की भाषा का सरल होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु सरल शब्दावली के अर्थ बहुत अनिश्चित होते हैं। इसलिए प्रशासन की भाषा में सरलता के साथ-साथ स्पष्टता और निश्चितार्थता भी चाहिए। हिन्दी में सरलता का गुण तो है ही, संस्कृत का मूलाधार एवम् पृष्ठ भूमि सहज सुलभ होने के कारण इसके शब्दों में निश्चितार्थता एवम् स्पष्टता भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त, प्रशासन के बहुविध कार्यकलापों का विधि से गहरा सम्बन्ध जुड़ जाने के कारण शब्दावली की महत्ता में वृद्धि हो गई है। सामान्य वार्तालाप में यदि किसी विचार के स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है तो वह एक वाक्य के पश्चात् कई वाक्यों में प्रकट की जा सकती है। परन्तु प्रशासन में एक बात एक बार में कही जाती है और वह भी कम से कम शब्दों में।इस कारण शब्द चयन का महत्व बढ़ जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शब्दावली सामान्य से उच्च स्तर की तथा सूक्ष्म हो। इस प्रसंग में जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, अब तक लाखों विशिष्ट शब्दों का प्रणयन हो चुका है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने लगभग 1000 विद्वानों और विशेषज्ञों के सहयोग से पाँच लाख से भी अधिक पारिभाषिक शब्दों और अभिव्यक्तियों को अंतिम रूप दिया है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि प्रशासन की भाषा आम बोलचाल की भाषा से थोड़ा भिन्न होती है। अंग्रेजी भाषा के कार्यालयी रूप में हमें कर्मवाच्य, व्यक्ति निरपेक्ष-कथनीयता, कर्तव्यविहीना वाली संरचना की प्रधानता मिलती है। इस भाषा रूप में व्यक्ति की अपेक्षा 'पदनाम' प्रमुख होता है। यहाँ 'कर्ता' स्वयं पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सभी कार्य आदेश, अनुदेश, अनुमति, अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति के आधार पर होते हैं। कार्यालयी अंग्रेजी भाषा की इसी प्रकृति को कार्यालयी हिन्दी ने भी अपनी संरचना में सुरक्षित रखा है। व्यक्ति-साक्षेप वाक्यों की तुलना में व्यक्ति-निरपेक्ष वाक्यों का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। व्यक्ति निरपेक्षता के साथ-साथ इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता भी पायी जाती है। जैसे -

- चर्चा के अनुसार कार्रवाई की जाए।

- मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

- इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

- इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि ....

उपर्युक्त भाषा आम बोलचाल की सहज भाषा से भिन्न है। एक वाक्य हम बोलचाल की भाषा में इस प्रकार से लिखेंगे -

मुझे आपका दिनांक .... का पत्र क्रमांक .... प्राप्त हो गया है। तो सरकारी भाषा में इसी बात को कुछ इस तरह कहा जाएगा -

मुझे आपके दिनांक .... के पत्र सं. .... की पावती देने का और यह कहने का निदेश हुआ है कि ....

कार्यालयी हिन्दी का जो रूप हमारे सामने हैं वह अपने विकास के पहले चरण में अनुवाद के माध्यम से आया है। आज भी अनेकों वाक्य मिल जाते हैं, जो कि मात्र अनुवाद भले ही हों लेकिन प्रयोग की दृष्टि से काफी अटपटे, बोझिल और कृत्रिम लगते हैं। जैसे -

1. Please discuss with relevant papers.

   कृपया संगत कागज पत्रों के साथ चर्चा करें।

2. Reference notes on prepage.

   पिछले पृष्ठ की टिप्पणी के सन्दर्भ से.......

पहले वाक्य के अनुवाद में अंग्रजी और हिन्दी भाषा की प्रकृति को समझे बगैर ही अनुवाद कर दिया गया है। चूंकि अंग्रेजी भाषा में क्रियापद में आदर, नम्रता आदि निहित नहीं होते, इसलिए अलग से विशेषण (Please) लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि हिन्दी में क्रिया के सर्वनामों के अनुसार बदलने वाले रूप में आदर, नम्रता निहित होते हैं (चर्चा करें) अतः इस वाक्य में 'संगत कागज-पत्रों के साथ चर्चा करें' ही उपयुक्त और सही है।

दूसरे वाक्य में 'संदर्भ' का अनावश्यक प्रयोग किया गया है क्योंकि 'पिछले पृष्ठ की टिप्पणी से' में ही संदर्भ का बोध हो जाता है। इसी प्रकार व्याकरण दृष्टि से देखा जाए तो भी कार्यालयी भाषा में काफी दोष हम पाते हैं। 'कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें' के स्थान पर 'कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें' तथा 'स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालय को भेजें' के स्थान पर 'स्पष्टीकरण करने के लिए मंत्रालय को भेजें' लिखना हिन्दी वाक्य रचना के अनुसार सही नहीं है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है हमारे देश में संघ सरकार के कार्यों में हिन्दी का प्रयोग मूल रूप में न होकर अनुवाद के माध्यम से शुरू किया गया। इसीलिए शब्दावली और वाक्य-संरचना एक प्रमुख समस्या के रूप से सामने आई है। कार्यालय में सामान्यतः जो अनुवाद किए जाते हैं उनमें न तो पारिभाषिक शब्दों की सटीकता है, न एकरूपता और न ही वाक्यों और शैली का प्रवाह ही है। यहाँ तक कि अनुदित सामग्री में हिन्दी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों की तरह रख दिया जाता है। पारिभाषिक शब्दों के विषय में विचार करते हुए नेहरु जी ने काफी पहले कहा था 'पारिभाषिक शब्दों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से बहुत से इतने असाधारण रूप से बनावटी और बेमानी हैं कि मुझे उनसे डर लगता है। इसका एक कारण यह है कि उनके पीछे कोई पृष्ठभूमि या इतिहास नहीं है।'

पारिभाषिक शब्दावली विकास का पहला प्रयास हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद 1961 में 'विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग' की स्थापना के बाद आयोग ने समय-समय पर कई शब्दावलियां तैयार कीं। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भी एक समन्वित शब्दावली तैयार की गई। 1991 में विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग ने कम्प्यूटर डाटाबेस आधारित वृहद प्रशासन शब्दावली प्रकाशित की। प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग शासकीय कार्यों में मौलिक लेखन और अनुवाद दोनों के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप जो साहित्य सामने आया है उसके बारे में अलग-अलग राय व्यक्त की

जाती रही है। एक राय तो यह है कि शब्दावली कठिन है और बोधगम्य नहीं है। दूसरी राय यह है कि अंग्रजी शब्दों का देवनागरी लिपि में प्रयोग कर खिचड़ी भाषा लिखी जानी चाहिए जो प्रायः कार्यालय में बोली जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाषा यथासम्भव सुबोध व सरल होनी चाहिए किन्तु प्रशासनिक कार्यों में सटीक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। अंग्रेजी के ऐसे अनेक शब्द प्रशासन में प्रयुक्त होते हैं जिनके सूक्ष्म अर्थभेद होते हैं। सरलता के नाम पर उन सबके लिए किसी एक प्रचलित शब्द का प्रयोग अनुमेय नहीं होना चाहिए। जैसे, 'डिसमिसल' और 'टर्मिनेशन' शब्दों का अर्थबोध नौकरी से निकाल देने से है। किन्तु इनके अर्थ भिन्न हैं। 'डिसमिसल' में कर्मचारी को लांछित करके नौकरी से हटाया जाता है और उसे दुबारा सरकारी नौकरी में नहीं लिया जा सकता। जबकि 'टर्मिनेशन' में बिना कोई कारण दिए नौकरी से अलग किया जा सकता है और उसे दुबारा नौकरी मिल सकती है। इस प्रकार 'डिसमिसल' का हिन्दी पर्याय है बरखास्तगी/पदच्युति और 'टर्मीनेशन' का पर्याय है सेवान्त/सेवा समाप्ति। इसी तरह 'रिमूवल' का निष्कासन और 'डिस्चार्ज' का 'सेवामुक्ति'।

प्रशासन चूंकि एक विशिष्ट विषय बन गया है, अतः उसकी बहुत-सी शब्दावली पारिभाषिक होती जाती है। अंग्रेजी में 'पे', 'एलाउन्स' और 'इमोल्यूमेंट' तीन शब्द हैं। यदि भाषा में परिभाषिकता का सामर्थ्य न हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाना स्वाभाविक होगा। यही कारण है कि तीन अलग-अलग शब्द यथा 'वेतन', 'भत्ता' और 'परिलब्धि' निश्चित किए गए। परन्तु शब्द-जगत की अपेक्षा भाव-जगत कहीं अधिक विस्तृत होता है। शब्दावली का सदैव अभाव रहता है। प्रत्येक भाव या वस्तु के लिए अलग-अलग शब्द मिल जाना कठिन होता है और इसीलिए एक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। अतः परिभाषा की आवश्यकता असंदिग्ध है। यदि किसी अनेकार्थक अथवा संदिग्धार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसकी परिभाषा द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि अमुक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। परिभाषाएं भाषा

में संक्षिप्तता भी लाती हैं। संक्षिप्तता भाषा का एक गुण है और यह प्रशासकीय-भाषा की आवश्यकता है। ये परिभाषाएं प्रशासन भाषा को सामान्य भाषा से भिन्न बना देती हैं।

यह भी आवश्यक है कि प्रशासन में प्रयुक्त शब्दों के निश्चित अर्थ हों। भ्रांति युक्त अथवा संदेहजन्य भाषा से प्रशासन को क्षति उठानी पड़ सकती है। उससे कुछ का कुछ भाव निकल सकता है। इसलिए निश्चितार्थता प्रशासन में अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रयोग-योग्य शब्दावली की सूक्ष्मता से जानकारी होनी चाहिए। किन्तु देखा गया है कि लगातार प्रयासों के बावजूद अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के हिन्दी में अनेक पर्याय चल रहे हैं। उदाहरण के लिए -

Agreement	:	सहमति, करार, अनुबंध, समझौता
Collector	:	जिलाधीश, कलेक्टर, संमाहर्त्ता, जिलाधीश
DFO	:	अरण्यपाल, वनमण्डलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी
Engineer	:	इंजीनियर, यांत्रिक, अभियंता, यंत्री
File	:	फाइल, मिसिल, पत्रावली
Instructor	:	शिक्षक, प्रशिक्षक, अनुदेशक
SDM	:	उपप्रभागीय अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी, परगनाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, उप जिलाधिकारी

इसी प्रकार कचहरी, न्यायालय, अदालत, कोर्ट; जच्चाघर, प्रसूतिगृह, मेटर्निटी होम; आकाशवाणी, रेडियो; दूरदर्शन, टेलीविजन; डाकखाना, डाकघर, पोस्ट ऑफिस; सरकार, शासन, हुकूमत, गवर्नमेंट आदि अनेक रूप प्रचलित हैं। प्रश्न उठता है कि यदि एक अंग्रेजी शब्द के लिए एक अर्थ में हिन्दी में कई शब्द प्रचलित हैं तो किसे लिया जाए और किसे छोड़ा जाए। इस सम्बन्ध में निम्न बातें कही जा सकती हैं:

1. जो शब्द स्वीकार किया जाए, उसे अर्थ की दृष्टि से अधिकाधिक उचित होना चाहिए।
2. उसे हिन्दी प्रदेश में अधिक प्रचलित होना चाहिए।
3. प्रयोग की दृष्टि से अटपटा नहीं लगाना चाहिए।
4. उसे ऐसा होना चाहिए कि अपेक्षित होने पर उससे नए शब्द सरलता से बन जाएं।

स्पष्ट है कि जो शब्द सामान्य प्रचलन में है उन्हीं का प्रयोग उचित है। इस सम्बन्ध में पं. नेहरू के विचार उल्लेखनीय हैं - 'सबसे पहले हमें हर उस शब्द को ले लेना चाहिए जो आम इस्तेमाल के शब्दों और लोगों की समझ के साथ यथासम्भव मेल साध सके।' हालांकि हिन्दी के शब्द निर्माण में संस्कृत की धातुओं का अपना महत्व है किन्तु भाषाई संक्रमण-काल तथा सामासिक संस्कृति के विचार को ध्यान में रखकर आम फहम शब्दों का प्रयोग न केवल जरूरी है बल्कि यही समय की मांग भी है। किन्तु यह बात ध्यान में रखनी होगी कि हर भाषा की एक प्रकृति और संस्कृति होती है। इसी सीमा के अंदर रहकर शब्द संरचना उचित होगी। अंग्रेजी का एक शब्द है Zone केन्द्र ने इसके लिए 'अंचल' रखा है तथा उत्तर प्रदेश ने 'परिक्षेत्र'। किन्तु मध्यप्रदेश ने इन दोनों शब्दों के अलावा चार शब्द और लिए हैं - खण्ड, कटिबंध, प्रदेश व इलाका। 'कटिबंध' भौगोलिक शब्द होने के कारण प्रशासनिक शब्द के लिए प्रयुक्त करना अनुचित है। शेष शब्दों में अंचल काफी उपयुक्त प्रतीत होता है। इसमें नए शब्द निर्माण की भी क्षमता है, जैसे Zonal Office का आंचलिक कार्यालय और Zonal Council का आंचलिक परिषद्। एक और शब्द है Whip (व्हिप)। केन्द्र ने इसके लिए 'सचेतक' रखा है जो काफी ठीक भी है। इसी प्रकार Verification के लिए केन्द्र ने 'सत्यापन' शब्द निश्चित किया है जबकि मध्यप्रदेश ने 'पड़ताल' और उत्तरप्रदेश ने 'जांच' और 'परीक्षा'। 'पड़ताल', 'परीक्षा', 'जाँच' हिन्दी में अन्य

अर्थों में ही अधिक स्वीकृत है, अतः अपेक्षाकृत नया शब्द 'सत्यापन' अधिक अच्छा है। इससे Verified के लिए 'सत्यापित' बनाया जा सकता है।

हिन्दी की अटपटी संरचना और शैली भी अनुवाद की ही देन है। इस तरह की कृत्रिमता का कारण 'उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को पूरी तरह हटाने, कृत्रिम शब्दावली का निर्माण तथा ऐसे हिन्दी अनुवाद हैं जो कि अच्छी हिन्दी जानने वालों को भी अस्वाभाविक महसूस होते हैं। बहुदा ऐसा लगता है कि हिन्दी को अंग्रेजी वाक्य संरचना के अनुसार रखा गया है।[1]' स्वतंत्रता के बाद जिस मशीनी ढंग से सरकारी कागजातों, नियमावलियों, फार्मों आदि का अनुवाद किया गया, उसके फलस्वरूप अनुवाद अत्यंत क्लिष्ट और अस्वाभाविक हो गए हैं। उदाहरण के लिए, 'यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा' (इस अधिनियम को राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाए), निदेशक ने सहर्ष निर्णय लिया है (निदेशक महोदय ने निर्णय लिया है), ग्यारहवें घंटे में (ऐन वक्त पर) आदि। इस तरह की अस्वाभाविकता से बचने के लिए अनुवाद में मानक, स्वाभाविक और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए चाहे वे किसी भी भाषा से हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू अथवा अन्य भारतीय भाषाओं से लिए जाएं। दूसरे, अनुवाद पर निर्भरता समाप्त करके भविष्य में बनने वाले सभी नियमों, कागजातों आदि के मसौदे मूल रूप में हिन्दी में तैयार किए जाएं ताकि शब्दावली और वाक्य संरचना के स्तर पर कृत्रिमता से बचा जा सके। आज कार्यालयी हिन्दी में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के इतने शब्दों का समावेश हो गया है कि चाहते हुए भी इसके व्यवहार को रोका नहीं जा सकता। इन भाषाओं के कुछ आम प्रचलित शब्द हैं -

अरबी - दौरा, कागज, नगद, मामला, मसौदा, काफी, जिम्मेदारी, सलाह, अदायगी, नजर, जरूरी, मौजूद, अरसा, गैर-कानूनी, दर्ज, शिकायत आदि।

---

1. ओंकारनाथ कौल : 'हिन्दी और उर्दू के सामान्य आधार'

फारसी - पहल, दारोगा, गिरफ्तार, तेज़, निगरानी, दस्तावेज़, रूमाल, खरीद, रेगिस्तान, रेज़गारी, शिकारी, नज़दीक, हिन्दी, सरकारी, कमोबेश आदि।

अंग्रेजी - फ़ाइल, बुलैटिन, स्टॉफ, ड्यूटी, टिकट, कर्फ्यू, बैंक, चैक, पेंशन, रेल, बस, टैक्सी, पास, आर्डर, जेल, पेन, पेंसिल, फिट, ऑडिट, कॉफी, बजट, एकड़ आदि।

यदि ऐसे शब्दों के स्थान पर संस्कृत मूलाधार के हिन्दी-शब्दों का प्रयोग करें हमें व्यावहारिकता में धारा-प्रवाह टूटता नजर आएगा और भाषा भी क्लिष्ट हो जाती है। जैसे-एक्सप्रेस का द्रुतगामी, एजेंसी का अभिकरण, हाट लाइन का तात्कालिक संचार-संपर्क व्यवस्था, मसौदे का हस्तलिखित सामग्री या पाण्डुलिपि, शिकायत का उपालम्भ, रूमाल का हस्त-प्रक्षालन वस्त्र-खण्ड, कफ़्यू का घरबंदी, कैप्सूल का संपुटिका, रेलगाड़ी का लोहपथगामिनी आदि।

इन सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद ही केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के सर्वमान्य और सरल शब्दों के प्रयोग को मान्यता दी है। ऐसे अनेक शब्दों ने आज न केवल हिन्दी के शब्द-भण्डार को बढ़ाया है वरन् राजभाषा के प्रयोग को भी सरल बनाया है। हिन्दी चूंकि जनभाषा है हिन्दी ने सदैव जनपदीय बोलियों और प्रादेशिक भाषाओं से आदान-प्रदान किया है। जितनी ग्रहण-शक्ति हिन्दी की है सम्भवतः उतनी विश्व की अन्य भाषा में नहीं होगी। भाषा परिवर्तनशील होती है। वह अटपटे, बोझिल और क्लिष्ट शब्दों को छोड़ती जाती है और नए सरल तथा प्रचलित शब्दों को ग्रहण करती जाती है। हिन्दी में नए शब्दों का ग्रहण करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुकूल ढालने की शक्ति होती है जैसे एकेडमी से अकादमी, ऑक्टोबर से अक्टूबर, वोल्टेज से वोल्टता, टेकनीक से तकनीक, नाइट्रोजन से नत्रजन, कम्प्यूटराइज्ड सेकम्प्यूटरीकृत आदि।

यह बात सत्य है कि जितने लोगों को प्रशासन प्रभावित करता है उतने लोगों की भाषा-विविधता का प्रयोग शासन को मान्य करना होता है अर्थात प्रदेशिक क्षेत्र में भी

भाषा, उपभाषा, बोली एवम् स्थानीय शब्दावली आदि सभी को महत्व देना पड़ता है। मुगलों के शासनकाल में भी अनेक लोक-भाषाओं का प्रयोग होता था और जब अंग्रेजों का शासन आया तो उनके न्यायालयों में तरह-तरह के रूपों में लोग बयान देते थे, जिन्हें रिकार्ड करके उनके अनुवाद के द्वारा मामले की छानबीन करने के बाद निर्णय दिया जाता था। भारत जैसे विशाल देश के प्रशासन में अनेक स्तरों पर तरह-तरह की भाषाओं का प्रयोग इतिहास और संस्कृति का यथार्थ है। इसका प्रधान कारण शासन का व्यापक विस्तार और जनता के भाषिक व्यवहार की विविधता ही माना जा सकता है।

इस स्तर पर कार्यालयी हिन्दी का मानक स्वरूप स्थापित करना कठिन कार्य प्रतीत होता है। कार्यालयी हिन्दी के प्रयोक्ता सरकारी कर्मचारी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में निपुण होते हैं जो अभी तक या तो अंग्रेजी माध्यम से कार्य कर रहे हैं अथवा अनुवाद के द्वारा विकसित एक विशेष सांचे में ढली हिन्दी के द्वारा। फिलहाल इन्हें कामचलाऊ हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि ये इतना भी ग्रहण कर लेते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हिन्दी को राजभाषा के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर प्रयोग में लाने का तात्पर्य यह है कि मानक हिन्दी की संकल्पना को सामने रखते हुए केन्द्रवर्ती कार्यों में उसका प्रयोग हो किन्तु क्षेत्रीय विविधताएं भी स्वीकार्य हों और सार्वदेशिक मानकीकरण को सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया से उभरने को छोड़ दिया जाए। सम्पर्क भाषा का रूप कामचलाऊ आपसी व्यवहार की हिन्दी का हो परन्तु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जिस रूप की प्रयुक्तियाँ आज विकसित हो रही हैं उनका प्रयोग हो।'

(ख) तकनीकी हिन्दी

तकनीकी भाषा की हमारे यहाँ बड़ी पुरानी परंपरा है। प्राचीन संस्कृति में आयुर्वेद, दर्शन, सिविल इन्जीनियरी, संगीत, मूर्तिकला आदि की विशिष्ट प्रयुक्तियों का विकास हुआ था किन्तु यूरोप और ब्रिटिश समाजों के साथ सम्पर्क होने पर भारत में दफ़तरी

भाषा के अलावा एक और तरह की अंग्रेजी भी काम में आने लगी जिसे मोटे तौर पर तकनीकी भाषा कहा जाता है। इसकी वजह से धीरे-धीरे देशी प्रयुक्तियाँ दबती गईं और अंततः लुप्त हो गईं।

आज़ प्रौद्योगिकी के युग में कोई भी भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम तब तक नहीं बन सकती जब तक उसकी अपनी तकनीकी व पारिभाषिक शब्दावली न हो। किसी भी भाषा का तकनीकी रूप अत्यन्त जटिल होता है और उसमें विभिन्न अभिव्यक्तियों एवम् संकल्पनाओं के लिए नए-नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं, नए-नए प्रतीक और संकेत ईजाद करने पड़ते हैं। उससे भी काम न चले तो विदेशी भाषाओं से भी अनेकों शब्द तथा प्रतीक लेने पड़ते हैं। चाहे अंग्रेजी हो, या रूसी या फिर जापानी सभी भाषाओं को अपने तकनीकी रूप के विकास के लिए उपर्युक्त साधनों का सहारा लेना पड़ा है। इसी क्रम में हिन्दी भी अब उसी प्रक्रिया से गुजर रही है। तकनीकी भाषा के सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय यह है कि उसमें प्रत्येक शब्द के मानकीकरण की अनिवार्य आवश्यकता होती है। चूंकि ऐतिहासिक कारणों से हमारे देश में प्रशासन, उद्योग एवम् विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिकांश अंग्रेजी व अन्य यूरोपीय भाषाओं के शब्द प्रचलित हो गए हैं अतः हमें उनमें से ऐसे शब्दों को आत्मसात करके अपनी तकनीकी भाषा में हिन्दी में पहले से विद्यमान शब्दों तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों का मानकीकरण करके भी प्रयोग किया गया है और कुछ नए शब्द भी गढ़े गए हैं।

सन् 1871 ई. में तत्कालीन सरकार ने ऐसी समिति बनाई जो यूरोपीय विधि तथा वैज्ञानिक विषयों की शब्दावली के रूपान्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण कर सके। इस समिति के ही एक सदस्य श्री राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रकाशन 'ए स्कीम फॉर द रेंडरिंग ऑफ यूरोपियन साइंटिफिक टर्मिनोलोजी इन टु द वर्नाकुलर्स ऑफ इण्डिया' शीर्षक से सन् 1877 में किया गया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी और महापंडित राहुल सांकृत्यायन की अध्यक्षता में

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इस दिशा में काफी कार्य हुआ। किन्तु इस कार्य में सर्वाधिक उल्लेखनीय भूमिका डॉ. रघुवीर की रही। उन्होंने आंग्ल भारतीय महाकोष - चार भाग (प्रत्येक शब्द का पर्याय देवनागरी, बंगला, कन्नड़ और तमिल लिपियों में भी किया गया), वाणिज्य शब्द कोष, वैज्ञानिक कोष, अर्थशास्त्र शब्दकोष, तर्कशास्त्र शब्दावली, पक्षि नामावली, स्तनि नामावली, भैषज संहिता शब्दकोष, संयान मंत्रालय कोष, वानिकी कृषि कोष, अंग्रेजी-हिन्दी वृहद् कोष आदि का निर्माण किया। चार लाख से अधिक शब्दों का रिकार्ड निर्माण कार्य करने वाले डॉ. रघुवीर ने शब्दों के निर्माण में संस्कृत को आधार बनाया। लेकिन संस्कृत भाषा की शक्ति और वैज्ञानिकता से अपरिचित, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे और उर्दू फारसी के पक्षधर भारतीय नागरिकों ने डॉ. रघुवीर के विचारों का विरोध किया। इस वर्ग के पक्षधरों का मानना था कि पाश्चात्य ज्ञान को समझने के लिए अंग्रेजी शब्दावली को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाए। ऐसे लोगों में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि प्रमुख थे। राजाजी का कहना था, 'Freedom from English rule should not mean to escape from English Literature..... English is an international medium to it is the language of modern Science.'

सन् 1961 में संस्थापित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को तब तक निर्मित शब्दावली के समन्वय, शब्दावली निर्माण के सिद्धान्तों के निर्धारण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कोशों के निर्माण और मानक वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों का मौलिक लेखन और अनुवाद का काम सौंपा गया। आयोग ने शब्दावली निर्माण, पुनरीक्षण तथा समन्वय के लिए सभी विषयों में विशेषज्ञ समितियां नियुक्त कीं। अन्तरराष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों का त्यों रखकर उसका केवल लिप्यंतरण किया गया, अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं पर निर्मित किए गए। कुछ प्रसंगों में संस्कृत पर्यायों की अपेक्षा स्थानीय हिन्दी शब्दों तथा हिन्दी में पाचित शब्दों को भी स्वीकार किया गया। ऐसे प्रसंगों में अन्य भारतीय भाषाओं को भी अपने प्रचलित

पर्याय रखने की छूट थी।

पूरे देश के लिए सभी विषयों पर आधारभूत अखिल भारतीय शब्दावली का निर्माण करना आयोग का उद्देश्य रहा है। आयोग के तत्वावधान में अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली भी तैयार की गई है। इस क्षेत्र में दस हजार तकनीकी शब्दों में से बहुप्रयुक्त शब्दों का रूपान्तर आयोग कर चुका है। आधुनिक समय में जब हिन्दी नया रूप धारण कर रही है और उसमें क्रमशः नए विचार, नई संकल्पनाएं अभिव्यक्ति पा रही हैं, तब वैज्ञानिक शब्दावली की उपयोगिता निर्विवाद है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मगौरव और उपयुक्त शब्दावली की। अतः हमें सक्रिय रूप से वैज्ञानिक साहित्य की मौलिक पाठ्यसामग्री की सर्जना और दिन प्रतिदिन हो रही नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों, अन्वेषणाओं आदि के तत्काल अनुवाद की ओर सचेष्ट रहना होगा।

वस्तुतः तकनीकी शब्दावली एक अनवरत प्रक्रिया है और नई तकनीकी प्रगति और नए ज्ञान-विज्ञान के साथ नित नए शब्द बनते रहते हैं या पुराने शब्दों को नए अर्थ मिलते रहते हैं। यह बात सच है कि इन शब्दों की सार्थकता इनके वास्तविक प्रयोग में है। अतः इनके प्रयोग को बढ़ावा देना, इनका प्रसार करना, इन शब्दों के विभिन्न प्रयोक्ताओं के बीच इनके प्रयोग की आवृति का सर्वेक्षण और समय-समय पर इनकी समीक्षा करना आवश्यक है। वर्तमान तकनीकी शब्द भण्डार में संशोधन तथा वृद्धि करते रहना भी आवश्यक है यह सारा कार्य इतना जटिल और व्यापक है कि सामान्य मानवीय संसाधनों के वश की बात नहीं है। अब स्थिति आ गई है कि कम्प्यूटरीकरण की सहायता ली जाए। इन शब्दों का व्यापक डाटा बेस तैयार किया जाए। जैसे-जैसे नए शब्द बनते जाएं अथवा वर्तमान शब्दों में संशोधन-परिवर्तन होता जाए, उनका समावेश डाटाबेस में होता जाए। इसके लिए योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा टाटा कन्सलटेन्सी के सहयोग से वैज्ञानिक एवम्

तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आवश्यक प्रोग्रामिंग की जा चुकी है और डाटा बेस में शब्द भरे जा रहे हैं। चार चरणों में विभक्त इस कम्प्यूटरीकरण योजना के तीसरे चरण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित निटनेट योजना से इसे जोड़ा जाएगा जिससे कम्प्यूटर के माध्यम से देश के किसी भी स्थान पर तकनीकी शब्दों के अद्यतन पर्याय कम्प्यूटर के परदे पर प्राप्त किए जा सकें। तकनीकी शब्दों के देशव्यापी प्रसारण तथा इनके प्रयोग को बढ़ावा देने में यह प्रयास अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध होगा।

2. पारिभाषिक शब्दावली

शब्द भाषा की लघुतम स्वतन्त्र सार्थक इकाई को कहते हैं। शब्दों को रचना (मूल यौगिक), स्रोत (तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज), अर्थ (एकार्थी, अनेकार्थी) आदि जिन अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, उनमें एक आधार 'प्रयोग' है। 'प्रयोग' के आधार पर शब्द के एक ओर तो बहुप्रयुक्त, अल्पप्रयुक्त, अप्रयुक्त आदि भेद किए जा सकते है और दूसरी ओर पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द। जो शब्द विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में ही प्रयुक्त होते हैं और उन्हीं के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सकती है, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। सामान्य शब्द वे शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्द के रूप में कभी नहीं आते हैं। जैसे रोटी, मकान, कपड़ा आदि। जहां तक भाषिक संरचना का प्रश्न है, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि पारिभाषिक शब्दों की रचना प्रक्रिया का कोई भी नियम सामान्य शब्द रचना प्रक्रिया के नियमों की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अर्थसंरचना की दृष्टि से पारिभाषिक और सामान्य शब्द के बीच में काफी अन्तर है। सामान्य भाषा व्यवहार में हम प्रभाव उत्थान करने हेतु सामान्य शब्दों के अर्थों को विस्तारित कर सकते हैं या उनका लाक्षणिक अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 'आशा की किरण, बदचलन इच्छाएं, लंगड़ी मानवता, तुम निरे गधे हो, गाय सी लड़की, खौलता हुआ खून' में किरण, बदचलन, लंगड़ी, गधे, गाय, खौलता शब्दों का प्रयोग लाक्षणिक

अर्थो में हुआ है। इसके विपरीत पारिभाषिक शब्दों का अपने-अपने विषय-क्षेत्रों में एक ही अर्थ होता है। हर पारिभाषिक शब्द किसी न किसी विषय क्षेत्र (शास्त्र, विज्ञान, व्यवहार-क्षेत्र) से अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है और उस विषय क्षेत्र के सन्दर्भ में ही उस शब्द का अभीष्ट अर्थ समझा जा सकता है। अतः विषय सापेक्षता पारिभाषिक शब्दों का एक अन्यतम गुण है। 'रेखित-चैक', 'ओवर ड्राफ्ट', 'चालू खाता', 'मियादी जमा', बचत खाता आदि शब्दों के अभीष्ट अर्थ बैंकिंग व्यवहार-क्षेत्र के संदर्भ में ही स्पष्ट होते हैं।

पारिभाषिक शब्दों की मूल प्रवृति अर्थों के सूक्ष्मीकरण की ओर होती है जिससे हर पारिभाषिक शब्द किसी विशिष्ट या सूक्ष्म अर्थ को प्रकट करता है। वह 'ताप', 'गरमी', 'ऊष्मा' और 'उष्णता' के सामान्य अर्थों को संकुचित करके उनमें भेद करता है। इसी प्रकार वह ठंडा (Cold), शीतन (Cooling), प्रशीतन (Refrigeration), द्रुतशीतन (Chilling) के बीच भेद बरतता है। जबकि साहित्य अपनी शैलीगत आवश्यकता के लिए कई बार इनके अन्तरों को नजरअंदाज कर देता है।

पारिभाषिक शब्द और उसके अर्थ के बीच सम्बन्ध रूढ़ी करण प्रक्रिया द्वारा स्थापित और विकसित होता है। नई संकल्पना और नए आविष्कारों के लिए उपयुक्त शब्दों की आवश्यकता होती है। ये शब्द या तो भाषा के विद्यमान शब्द भण्डार से अनुकूल शब्दों के अर्थों को परिवर्धित या संकुचित कर अथवा नए शब्दों का निर्माण करने के द्वारा प्राप्त होते हैं। इनमें से जो शब्द सतत् व्यवहार में बने रहते हैं वे अभीष्ट तकनीकी अर्थों में रूढ़ हो जाते हैं और जो शब्द व्यवहार और प्रचलन मे नहीं आ पाते वे चयन और व्याकरण की दृष्टि से कितने भी उत्कृष्ट हों, धीरे-धीरे समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। पारिभाषिक शब्दों के सामान्य तथा तकनीकी अर्थो के बीच का सम्बन्ध पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हो सकता है। पारदर्शी शब्द के तकनीकी अर्थ स्वतः स्पष्ट होते हैं जैसे स्तनधारी (Mammal), आकस्मिक अवकाश (Causal leave), स्त्री रोग विज्ञान (gyanaecology) , मनोविकार (psychiatry), शरीर-

रचना (Anatomy), रक्त स्त्राव (haemorrhage), नेत्ररोगविज्ञान (ophtalmology) अस्थिर रोग विज्ञान (orthopaedics) आदि। इसके विपरीत कुछ पारिभाषिक शब्दों की बाह्य संरचना से उनके वास्तविक तकनीकी अर्थ का स्पष्ट बोध नहीं होता। ऐसे शब्द अपारदर्शी कहलाते हैं। व्यक्तियों के नाम पर बने पारिभाषिक शब्द प्रायः अपारदर्शी होते हैं, जैसे फारेनहाइट, वोल्टमीटर, एम्पियर आदि। वस्तुतः बहुत कम पारिभाषिक शब्द अपनी संरचना के माध्यम से अपने तकनीकी अर्थों को पूर्णता में व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि तकनीकी अर्थों की सम्पूर्ण विविधता को एक-दो शब्दों के भीतर समेट पाना संभव नहीं। सामान्यतः किसी तकनीकी संकल्पना के विभिन्न अर्थ-लक्षणों में से एक-दो प्रमुख लक्षणों को आधार मानकर संपूर्ण संकल्पना का नामकरण कर दिया जाता है। शेष अर्थ-लक्षण परिभाषाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। परिभाषा साक्षेप होने के कारण ही इन्हें 'पारिभाषिक शब्द' कहा जाता है।

पारिभाषिक शब्दावली के साथ मानकता का प्रश्न अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। मानकीकरण का पहला चरण है 'रूपों की विविधता को कम से कम करना'। एक ही तकनीकी संकल्पना के लिए एक से अधिक शब्दों या शब्द-रूपों में से एक शब्द या शब्द-रूप का चयन मानकीकरण प्रक्रिया के लिए पहली आवश्यकता है। इसे हम तकनीकी शब्द का कोडीकरण कह सकते हैं। इसके फलस्वरूप समान विषय क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञों के बीच सफल सम्प्रेषण संभव होता है। इससे शब्दावली में समरूपता आती है। इसका लक्ष्य है 'एक शब्द एक अर्थ'। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्यक्रम इसी प्रक्रिया का एक अंग है जिसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है पारिभाषिक शब्दावली के पर्यायों में यथासम्भव समरूपता लाना।

भाषा व्यवहार के अधिकाधिक क्षेत्रों में इन शब्दों का व्यापक प्रयोग मानकीकरण प्रक्रिया का दूसरा चरण है जिसे विस्तारीकरण कहा जाता है। अभीष्ट तकनीकी अर्थों में शब्दों को रूढ़ कर देना या अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही

मानकीकरण के लिए पर्याप्त नहीं। इनका प्रयोग क्षेत्र जितना व्यापक होगा उतने ही अधिक वे मानक होंगे। इसी प्रक्रिया में इन शब्दों का प्रयोग-परीक्षण भी होता है जिससे उन्हें समाज द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। इसी बीच शब्दावली का पुनरीक्षण और संशोधन भी होता रहता है। नए शब्दों की सार्थकता उनके प्रयोग में है। यदि वे शब्द प्रयोग या प्रचलन में नहीं आ पाते तो चयन या व्याकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट होते हुए भी वे निरर्थक हैं, जो भाषा जितने अधिक व्यवहार क्षेत्रों और ज्ञान-विज्ञान की शाखाओं की सूक्ष्म संकल्पनाओं और तकनीकी अर्थों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होगी वह भाषा सामाजिक और भाषिक दृष्टि से उतनी ही अधिक विकसित और समृद्ध होगी। किसी भी भाषा की यह सामर्थ्य इस बात पर निर्भर करेगी कि उस भाषा के तकनीकी शब्दों और शैली रूपों का प्रयोग कितना मानक और व्यापक है।

किसी भी भाषा-समाज में पारिभाषिक शब्दों का विकास दो प्रक्रियाओं से सम्भव है : प्राकृतिक विकास प्रक्रिया और नियोजित विकास प्रक्रिया। प्राकृतिक विकास प्रक्रिया में जो मस्तिष्क ज्ञान विज्ञान के मौलिक चिंतन और नई संकल्पनाओं को जन्म देता है वही मस्तिष्क मूलतः उन्हें उपयुक्त नाम और अभिव्यक्ति भी देता है। इस प्रकार हर नया पारिभाषिक शब्द अपने संदर्भ और परिवेश से जुड़कर और वाक्यों में प्रयुक्त होकर ही पाठक के सामने आता है। इस प्रक्रिया में नए पारिभाषिक शब्दों की मात्रा उनके प्रयोग से शुरु होती है। यदि कुछ समय के प्रयोग के पश्चात् वे सामाजिक व्यवहार या प्रचलन में बने रहते हैं तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है और वे शब्दकोश में स्थान पा जाते हैं अन्यथा वे शनैः शनैः लुप्त होते जाते हैं और शब्दकोश तक नहीं पहुंच पाते। नियोजित विकास प्रक्रिया वास्तव में भाषा नियोजन का एक अंग है। भाषा नियोजन एक सायास कार्य है जिसकी परिणति क्रियान्वयन में होती है। यह कार्य मुख्यतः सरकार अथवा किसी संस्था की देखरेख में किया जाता है। इस प्रकार की विकास प्रक्रिया में अन्य भाषाओं में विकसित पारिभाषिक शब्दों के लिए

अपनी भाषा में उपयुक्त पर्यायों का निर्माण या निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक सीमा तक अनुवाद पद्धति का भी सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में मूल संकल्पना और पर्याय के बीच की भाषा है। पर्याय-निर्धारण की प्रक्रिया में हमारी प्रवृत्ति अंग्रेजी के हर शब्द के लिए पारिभाषिक शब्दों का शाब्दिक हिन्दी पर्याय ढूढ़ने की होती जाती है जिससे प्रयोग में कृत्रिमता आने की संभावना बनी रहती है। यह प्रक्रिया एक प्रकार से प्राकृतिक विकास प्रक्रिया के विपरीत है जहाँ शब्द प्रयोग सिद्ध होने के बाद ही शब्दकोश में स्थान पाते हैं। नियोजित विकास-प्रक्रिया में सामान्यतः पारभिाषिक शब्द प्रयोग सिद्ध होने से पूर्व ही शब्द संग्रहों तथा कोशों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उनके प्रयोग का आग्रह होता है।

किसी भी भाषा के विकास का प्रमुख कारण है परिस्थिति जन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहना। नई वस्तुएं और नए विचार अभिव्यंजना के अभिनव प्रकारों को तभी जन्म देते हैं जब कोई भाषा सक्रिय रूप से कार्य में लाई जा रही हो। भाषा में शक्ति व्यवहार से आती है। भारतीय भाषाओं का यह दुर्भाग्य रहा कि सदियों की राजनीतिक पराधीनता तथा विदेशी प्रभुत्व के कारण वे शिक्षा, शासन, विधान, न्याय आदि कार्य-कलापों के निर्वाह का साधन नहीं बन सकी फलस्वरूप उनकी शक्ति का समुचित विकास नहीं हो सका। दूसरे, उन्नीसवीं शताब्दी में एवम् 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में जितनी वैज्ञानिक अथवा अन्य प्रगति हुई, वह अभूतपूर्व थी लेकिन वह ज्ञानराशि भारत में एक विदेशी भाषा-अंग्रेजी- के माध्यम से आई। यदि इसके लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ होता तो उनका भी अंग्रेजी, जापानी जैसी भाषाओं के अनुरूप नैसर्गिक विकास हो पाता। लेकिन व्यवहार में न आने के कारण भारतीय भाषाएं तो स्थिर रह गई और ज्ञान-विज्ञान तीव्र गति से आगे निकल गया। दोनों के बीच की खाई गहरी हो गई। भाषा और ज्ञान में सामंजस्य नहीं रहा। विभिन्न तकनीकी विषयों के लिए वे शब्द अनिवार्य हैं जो सर्वथा परिशुद्ध, निश्चितार्थक और असंदिग्ध हों। अनुमान किया जाता है कि आधुनिक ज्ञान लगभग 600 शाखाओं

में विभक्त है जैसे एकांउट्स, बैक्टीरियोलॉजी, केमेस्ट्री, कॉमर्स, डेंटेस्ट्री, इकॉनामिक्स, इंजीनियरिंग, जियॉलोजी, लॉ, मैडिसिन, माइनिंग, फार्मसी, फीजियोलोजी, साइकोलोजी, सोश्योलोजी, लिंग्विस्टिक्स इत्यादि । इन सभी शाखाओं में प्रयुक्त शब्दों की संख्या लगभग 20 लाख बताई जाती है । यह संख्या बहुत बड़ी है । यदि हमें अपनी भाषा को सम्पन्न बनाना है तो इन 20 लाख शब्दों को उसमें समाविष्ट करना होगा । इसके तीन रास्ते हैं :- 1) ग्रहण (2) अनुकूलन (3) निर्माण ।

प्रत्येक जीवित भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की क्षमता होती है । हिन्दी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के बहुत शब्द हैं जो हमने अपना लिए हैं । किन्तु इसकी भी एक सीमा होती है । एक देश की भाषा दूसरे देश में न तो जड़ पकड़ सकती है और न पनप सकती है । उदाहरण स्वरूप हम फारसी को ही लें । लगभग पांच शताब्दियों तक फारसी भारत में शासन, कानून, राजनीति की भाषा रही, उसे मध्ययुगीन साम्राज्य निर्माताओं की असीम शक्ति और समर्थन प्राप्त था, फिर भी भारतीय भाषाओं पर कुछ शब्दों को छोड़कर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकी और समय के साथ मिट गई । इसी प्रकार अंग्रेजी को लें । मात्र एक शताब्दी तक प्रभावी अंग्रेजी का प्रसार इने-गिने अफसरों और दफ्तर के बाबुओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इतना नहीं कि हम उस भाषा के 20 लाख शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लें । अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों को हम ग्रहण कर भी लें तो उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार का होगा :-

'न्यूटन ने Change of momentum के बदले change of motion का प्रयोग किया था । उसके अनुसार Matter का Motion उसकी वह quality है, जो matter के mass और उसकी velocity से उत्पन्न होती है यानि mass और velocity का multiplication ही quantity of motion का measurement है । Driving force effort या power कहलाता है; working force weight, resistance या load......'

यह मिश्र भाषा न तो हिन्दी है और न अंग्रेजी ये शब्द भारतीय भाषाओं से सर्वदा असम्बद्ध हैं। ध्वनि, पद-रचना, व्याकरण, व्युत्पत्ति किसी में कोई मेल नहीं। Motion के बदले गति, matter के बदले वस्तु, quantity के बदले मात्रा, quality के बदले गुणवत्ता इतने कठिन नहीं हैं कि उनका प्रयोग करने पर साधारण हिन्दी जानने वाले भी समझ न पाएं। इसी प्रकार अनुकूलन को देखें। अनुकूलन वहीं सम्भव होता है जहाँ दो भाषा के बीच कोई सम्बन्ध सूत्र विद्यमान हो। यूरोपीय भाषाओं में यदि ग्रीक या लेटिन के शब्द गृहीत या अनुकूलित हुए हैं तो इसलिए कि ये दोनों भाषाएं यूरोप की कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, धर्म आदि की प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही उनमें शब्द निर्माण की शक्ति और सम्भावना विद्यमान हैं, जिनका यूरोप की आधुनिक भाषाओं में अभाव है। इसलिए यूरोप की सभी भाषाएं अपनी नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रीक और लेटिन का पल्ला पकड़ती हैं। किन्तु अंग्रेजी और हिन्दी में ऐसा कोई सम्बन्ध सूत्र नहीं है।

अब एक विकल्प बचता है और वह है निर्माण, और निर्माण के लिए संस्कृत का आश्रय लेने के सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है। संसार में संस्कृत, चीनी, ग्रीक और लैटिन-ये चार ही भाषाएं ऐसी हैं जिनमें शब्द निर्माण की क्षमता और योग्यता है और इनमें भी संस्कृत का स्थान सबसे ऊंचा है। उपसर्ग और प्रत्यय का भेद कर एक मूल धातु से सैकड़ों शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरे, संस्कृत सहस्त्राब्दियों से इस देश की संस्कृति, धर्म एवम् दर्शन की भाषा रही है और आज भी है, जिसके कारण उसका प्रभाव इस देश के कण-कण में व्याप्त है। अतः उसे आधार मानकर बनाए गए शब्द सभी को ग्राह्य होंगे।

हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली के सम्बन्ध में तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं :- (1) यह शब्दावली पारिभाषिक है, साधारण बोलचाल की नहीं (2) यह सबके लिए या बहुसंख्यकों के लिए भी नहीं है; यह केवल उन गिने चुने लोगों के लिए हैं जो किसी प्राविधिक विषय का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं। (3) यह वर्तमान पीढ़ी के लिए

नहीं, भविष्य के लिए है। साधारण बोलचाल में आने वाले शब्द जैसे केक, बिस्कुट, चॉकलेट, गिलास, सिगरेट, टब, ट्रंक, टिकट, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, कॉपी, लालटेन आदि सैंकड़ों शब्द जो लोकप्रिय और प्रचलित हैं, उन्हें हटाए जाने की आवश्यकता नहीं।' पारिभाषिक शब्दावली इनसे सर्वथा अलग है, जिसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में होता है। प्रत्येक शास्त्र में ऐसे शब्द अनिवार्य होते हैं जो पारिभाषिक शब्द हैं और केवल उन्हीं के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें उस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित है। उदाहरण के लिए साधारण बोलचाल में पानी का अंग्रेजी पर्याय 'वाटर' है किन्तु डॉक्टर के लिए आकुआ (aqua) है जो लैटिन शब्द है। रेखा, बिन्दु, कोण, परिधि, केन्द्र आदि पारिभाषिक शब्द उन लोगों के लिए सर्वथा अनपेक्षित हैं जिन्हें रेखागणित नहीं पढ़ना। स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्दावली सबके लिए नहीं है बल्कि उन सीमित व्यक्तियों के लिए है जो ज्ञान की किसी एक शाखा में विशेषता या प्रवीणता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जैसे भाषा विज्ञान का विशेषाध्ययन करने वाले के लिए धातु-विज्ञान की कोई उपादेयता नहीं।

हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के कुछ मूल सिद्धान्त निम्नानुसार हैं :

1. एक शब्द एक ही प्रधान अर्थ का वाचक है।
2. हिन्दी के पारिभाषिक शब्द सार्थक हैं अर्थात् वे अभिहित वस्तु की किसी प्रमुख विशेषता को प्रकट करते हैं।
3. शब्दों का आकार आनुपातिक सीमा का अतिक्रमण नहीं करता अर्थात् अंग्रेजी शब्दों की अपेक्षा अधिक स्थान नहीं घेरता।
4. ध्वन्यात्मक दृष्टि से वे शब्द भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुकूल हैं।
5. किसी शब्द के विभिन्न रूप एक मूल से व्युत्पादित हैं। अतः उसे जान लेने पर अन्य रूप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं।

इन सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए हम निम्नलिखित उदाहरण देख सकते हैं :-

register	पंजी	legislate	विधान करना
registered	पंजीयित	legislative	विधायी
registrar	पंजीकार	legislator	विधायक
registrator	पंजीयक	legislatorial	विधायकीय
registrant	पंजीयनार्थी	legislature	विधान-मण्डल
registration	पंजीयन	legislatable	विधेय

इसी प्रकार लैटिन में एक शब्द है। ferrum जिसका अर्थ है लोहा और इसका संस्कृत पर्याय है अयस्। ferrum से दो विशेषण बनते हैं - ferric और ferrous जो क्रमशः अयस् के दो विशेषण अयसिक और अयस्य हैं.-

अब इन रासायनिक तत्वों के हिन्दी पर्याय देखें :

Ferric Acetate	अयसिक शुक्तीय
Ferric Acid	अयसिक अमल
Ferric Chloride	अयसिक नीरेय
Ferric Hydrate	अयसिक जलीय
Ferric Oxide	अयसिक जारेय
Ferric Sulphate	अयसिक शुल्बीय

इसे हिन्दी पर्यायों से उन तत्वों का बोध हो जाता है जबकि अंग्रेजी के शब्द निरर्थक संकेत के रूप में रहने होते हैं। जो ग्रीक या लेटिन नहीं जानते उन अंग्रेजीदां के पास यह जानने का कोई साधन नहीं कि acetate, acid, chloride, hydrate या Sulphate उन तत्वों को क्यों कहा जाता है।

हम पहले भी कह चुके हैं भाषा अभ्यास की वस्तु है। हम जितना अधिक उसका

व्यवहार करेंगे, उतनी ही वह सुगम होगी। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शब्द व्यवहार में आने से ही प्रचलित और स्वीकृत होते हैं, प्रयोग से ही वे प्राणवान् बनते हैं अन्यथा कोशों में तो वे निष्प्राण पड़े रहते हैं। आज जितने भी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो रहा है, वे सभी अनायास प्रचलित हो जाएंगे, यह भ्रम पालना न ही ठीक है और न अपेक्षित। उनकी स्वीकार्यता-अस्वीकार्यता पर अन्तिम मोहर समाज को लगानी होगी कोशकार को नहीं। कोशकार का काम है शब्दों को प्रस्तुत कर देना, ग्रहण करना समाज के अधीन है। जीव-जन्तुओं के समान शब्द भी 'योग्यतमावेश' (Survival of the fittest) के सिद्धान्त से नियंत्रित है। शब्दों का परिमार्जन और उनकी कमियों की पूर्ति व्यवहार-प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही होती है। शब्द या पर्याय निर्माण स्वयं में बहुत कठिन कार्य नहीं है, कठिन कार्य है उन्हें प्रचलन में लाना और उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाना।

नए पारिभाषिक शब्दों या पर्यायों की ग्रह्यता जिन तत्वों पर निर्भर करती है उनमें प्रमुख है बार-बार शब्दों से साक्षात्कार या उनका बारम्बार व्यवहार। यदि किसी शब्द से हमारा साक्षात्कार बार-बार कई माध्यमों से होता है तो वह स्वतः हमारे निजी शब्द भंडार का अंग बन जाता है। समाचार पत्र, पुस्तक, रेडियो, दूरदर्शन, व्याख्यान, विज्ञापन आदि के माध्यम से बार-बार हमारे सामने आए अनेक तथाकथित कठिन या अपरिचित शब्द आज हमारे लिए सहज हो गए हैं जैसे अंतरिक्ष, अभियंता, पंजीकरण, प्रदूषण, पर्यावरण, श्वेतपत्र, निजीकरण, भूमण्डलीकरण, बुद्धिपलायन, अध्यादेश आदि। भाषा की सहज प्रकृति के अनुकूल बने पर्याय अपेक्षाकृत अधिक सरलता से ग्राह्य होते हैं।

पर्याय-निर्माण स्वयं एक प्रयोग है और कौन-सा पर्याय सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर लें इसका ठीक-ठीक पूर्वानुमान करना कठिन है। कोई भी भाषा-समाज न अतिशुद्धतावादी नियमों के आधार पर बने शब्दों को, न व्याकरण सम्मत नियमों को तोड़-मरोड़कर बनाए गए नए शब्दों को और न बड़े पैमाने पर विदेशीभाषा से अभिभूत

शब्दावली को सहज रूप से स्वीकार करता है। इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए केन्द्रीय सरकार ने छठे दशक के आसपास समाज के सभी वर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहज, बोधगम्य और शास्त्र सम्भव शब्दावली निर्माण के विचार को अपनाते हुए विधिवत पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के कार्य को अपने हाथ में लिया।

अन्तरराष्ट्रीय शब्दों को कहाँ तक भारतीय भाषाओं में यथावत् ग्रहण किया जाए, कहाँ तक बोलचाल की भाषा के शब्दों को शास्त्रीय विषयों की शब्दावली में स्थान दिया जाए, कहाँ तक भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया जाए और कहाँ तक संस्कृत को आधार मानकर शब्दावली का निर्माण किया जाए-इस सम्बन्ध में सरकार ने देश के प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों तथा भाषाविदों की सहायता से एक सुनिश्चित रूपरेखा तैयार की और शब्दावली-निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किए। इसी क्रम में सन् 1961 में प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की।

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए जो आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किए गए उनमें प्रमुख हैं :-

(1) अन्तरराष्ट्रीय शब्दों को यथासम्भव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यन्तरण करना चाहिए। उदाहरणार्थः (क) तत्वों और यौगिकों के नाम, जैसे हाइड्रोजन, कार्बनडाय ऑक्साइड आदि (ख) तौल और माप की इकाइयाँ और भौतिक परिमाण की इकाइयां जैसे डाइन, कैलोरी, एम्पीयर आदि (ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे 'फारेनहाइट तापक्रम', वोल्टा के नाम पर वोल्टमीटर, आदि (घ) रेडियो, पेट्रोल, रडार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन आदि शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है (ङ) गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक,

प्रतीक, चिन्ह, सूत्र जैसे साइन, कोसाइन, टैंजेन्ट, लॉग आदि।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतीक रोमन लिपि में अन्तरराष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएं परन्तु संक्षिप्त रूप नागरी और अन्य मानक रूपों में भी विशेष रूप से साधारण तोल और माप में भी लिखे जा सकते हैं जैसे सेंटीमीटर का प्रतीक c.m. हिन्दी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा परन्तु इसका नागरी संक्षिप्त रूप से.मी. हो सकता है।

(3) हिन्दी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुधार विरोधी और विशुद्धतावादी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए।

(4) सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए वे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों और संस्कृत धातुओं पर आधारित हों।

(5) अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसिसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं उन्हें उसी रूप में अपनाया जाना चाहिए जैसे इंजन, लावा, मशीन, टार्च, मीटर आदि।

(6) ऐसे शब्द जो विदेशी शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए, उन्हें उसी रूप में व्यवहार में लाना चाहिए जैसे telegram के लिए तार, Continent के लिए महाद्वीप, atom के लिए परमाणु आदि।

(7) हिन्दी में अपनाए गए अन्तरराष्ट्रीय शब्दों को सामान्यतः पुलिंग रूप में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

(8) अन्तरराष्ट्रीय शब्दों का लिप्यांतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिन्ह या प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े।

(9) कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द-रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी।

(10) पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए परन्तु lens, patent आदि शब्दों का लिप्यंतरण लेंस, पेटेंट न करके लेन्स, पेटेन्ट ही करना चाहिए।

इन आधारभूत सिद्धान्तों के आधार पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, आदि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों के लिए शब्दावली निर्माण का कार्य शुरू किया। अब तक सभी विषयों के लगभग पांच लाख पारिभाषिक शब्द विकसित किए जा चुके हैं। शब्दावली निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण संतुलनवादी रहा है। लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि निश्चित मॉडल के बावजूद शब्दावली निर्माण के कार्य में शब्दों की सार्थकता का अन्तिम निर्णयक प्रयोक्ता ही होता है। दूसरे शब्दों में निर्माण से प्रयोग तक की यात्रा पूरी करने के बाद ही पारिभाषिक शब्द सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं।